



## कार्यालय प्रबन्ध निदेशक मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इन्दौर

क्र /प्रनि/पक्षे/स्था-03/ 94

इंदौर, दिनांक 29 JAN 2019

### आदेश


म.प्र.शासन वित्त विभाग के ज्ञाप दिनांक 16.01.18 में उल्लेखित अनुसार म.प्र.शासन के अधीन सिविल सेवा व सिविल पदों पर दिनांक 01.01.2005 को या उसके पश्चात नियुक्त शासकीय सेवकों के लिये राष्ट्रीय पेंशन योजना (पूर्व नाम नवीन परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना) लागू की गई है। राष्ट्रीय पेंशन योजना के अभिदाताओं को सेवानिवृत्ति/सेवाकाल में मृत्यु होने पर, मृत्यु सह सेवानिवृत्ति उपादान के समान पात्रता नहीं है।

म.प्र.पश्चिम क्षेत्र कंपनी, म.प्र.शासन वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-9-11/2017/नियम/चार दिनांक 16.01.18, एवं ज्ञाप क्र. एफ 9-11/2017/नियम/चार दिनांक 25.06.2018 (प्रतिलिपि संलग्न) जो दिनांक 01.01.05 को या उसके पश्चात नियुक्त शासकीय सेवकों के लिये, राष्ट्रीय पेंशन योजना के अंतर्गत उन्हें मृत्यु सह सेवानिवृत्ति उपादान तथा जमा राशि से सेवाकाल में प्रत्याहरण का लाभ दिये जाने से संबंधित है, को यथावश्यक परिवर्तन (Mutatis Mutandis) सहित उल्लेखित ज्ञाप में अंकित "म.प्र.शासन" के स्थान पर "म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि." "सिविल सेवा व सिविल पदों" के स्थान पर "कंपनी सेवा व कंपनी पदों" "शासकीय सेवकों" के स्थान पर "कंपनी कार्मिकों" कोषालय अधिकारी के स्थान पर "वरिष्ठ/क्षेत्रीय लेखाधिकारी" "महालेखाकार, म.प्र.ग्वालियर" के स्थान पर "मुख्य वित्तिय अधिकारी" म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. इंदौर प्रतिस्थापित करते हुये आदेश दिनांक से निम्नानुसार ग्राह्य करता है-

- (अ) कंपनी के अधीन कंपनी सेवा व कंपनी पदों पर दिनांक 01.06.05 को या उसके पश्चात नियुक्त कंपनी कार्मिकों को म.प्र.सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 के नियम 44 के प्रावधानों के अधीन मृत्यु सह सेवा निवृत्ति उपादान की पात्रता होगी।
- (ब) राष्ट्रीय पेंशन योजना के अभिदाता विशेष परिस्थितियों में संचित पेंशन धनराशि से भारत के राजपत्र में पेंशन निधी विनियामक ओर विकास प्राधिकरण द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 11 मई 2015 के अनुसार आहरण कर सकेंगे।
- (स) अभिदाता के सेवानिवृत्ति के तीन माह पूर्व योजना में अंशदान का कटोत्रा बंद किया जा सकेगा।

(उपरोक्त (ब) एवं (स) में प्रक्रिया संबंधी निर्देश, म.प्र.शासन वित्त विभाग द्वारा पृथक से जारी किये जाने पर उन्हें तदनुसार ग्राह्य किया जायेगा।)

- (द) म.प्र.शासन, श्रमविभाग से उपादान भुगतान अधिनियम-1972 की धारा-5 के अंतर्गत कंपनी कार्मिकों हेतु उपादान अधिनियम 1972 से छूट प्राप्त करने हेतु याचिका प्रस्तुत की जायेगी।
- (इ) दिनांक 01.06.2005 अथवा उसके पश्चात तथा दिनांक 16.01.18 के पूर्व कंपनी द्वारा नियुक्त ऐसे कार्मिक जिनकी सेवानिवृत्ति/ सेवा में रहते हुये मृत्यु हुई है, उन्हें अथवा उनके आश्रितों को उपादान का भुगतान उपादान भुगतान अधिनियम 1972 के सुसंगत प्रावधानों के तहत पात्रता अनुसार किया जावे।

  
मुख्य महाप्रबंधक (मा.सं.एवं प्रशा.)

क्र /प्रनि/पक्ष/स्था-03/ 2127  
प्रतिलिपी:-

इंदौर, दिनांक 29 JAN 2019

1. निदेशक (वाणिज्य), कार्पोरेट कार्यालय, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि., इंदौर।
2. मुख्य अभियंता (मा.सं./प्र) एमपीपीटीसीएल, जबलपुर।
3. मुख्य अभियंता (मा.सं./प्रशा.) मं.प्र.पॉ.जन.कं.लि., जबलपुर।
4. मुख्य महाप्रबंधक (मा.सं./प्र.) म.प्र.पॉवर मैनेजमेंट कं.लि./म.प्र.पू.क्षे.कं.लि./ म.प्र.म.क्षे.कं.लि., जबलपुर/ भोपाल।
5. कार्यपालक निदेशक (इं.क्षे.) म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि., इंदौर।
6. कार्यपालक निदेशक (आपरेशन/आयपीडीएस) म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि., इंदौर।
7. मुख्य अभियंता (कार्पोरेट अफेयर्स/क्रय/सिविल) म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि., इंदौर।
8. मुख्य वित्तीय अधिकारी, कार्पोरेट कार्यालय, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि., इंदौर।
9. अतिरिक्त मुख्य अभियंता (कार्य/एमटी/विस/) कार्पोरेट कार्यालय, इंदौर।
10. अधीक्षण यंत्री (वाणिज्य) एवं मुख्य सतर्कता अधिकारी, कार्पोरेट कार्यालय, म.प्र.प.क्षे. वि.वि.कं.लि., इंदौर।
11. अधीक्षण यंत्री (भण्डार) वृत्त, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि., इंदौर।
12. अधीक्षण यंत्री (सू.प्रौ) म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि., इंदौर। उक्त आदेश कंपनी की वेबसाइट पर प्रसारित करें।
13. अधीक्षण यंत्री (शहर/ सं.सं./सिविल) म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि.....।
14. संयुक्त सचिव-I/II/III, कार्पोरेट कार्यालय / केन्द्रीय स्थापना दावा प्रकोष्ठ म.प्र.प.क्षे.वि. वि.कं.लि., इंदौर।
15. कार्यपालन यंत्री (शहर/ संचा.संथा./ एसटीएम/ एसटीसी/ एमटी/ सिविल/ भण्डार) संभाग, म.प्र.प. क्षे.वि.वि.कं.लि. .... ।
16. वरिष्ठ / क्षेत्रीय लेखाधिकारी, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि., .....।
17. निज सचिव, प्रबंध निदेशक, कार्पोरेट कार्यालय, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि., इंदौर।

  
उपसचिव